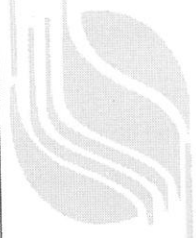




Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY



SRO Unique ID	17092713971R	Receipt Date	27-SEP-2017 15:27
S R Location	CHAKSU		
Receipt No	RJ1527271709945		
Name Of Seller	ADV ANIL KUMAR CHOUDHARY		
Name Of Buyer	N		
Type of Document	Search And Inspection		
ACC Reference	NONSH/PREM PRAKASH/JAIPUR		
Stack Heading Corporation of India Limited			
Paid Fees	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 450
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 450	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 460		
(Rupees Four Hundred Sixty Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shileststamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Anil Kumar Choudhary

Advocate: -Rajasthan High Court

Bar Association Code: R/4622/2010

Contact No: +0141-2395533/ +91-9829051945

Email Id: Anil.Choudhary@rkcc.co.in

Website: www.rkcc.co.in



Date: - 27-09-2017

NON-ENCUMBRANCES CERTIFICATE/SEARCH REPORT

Property Details & Owner Details: Plot no. 138, Goverdhan Vihar, Block H, Gram

Jaimammohanpura Urf Malwa & Nahariya Ka bas, Tehsil Chaksu, Jaipur .Owner M/s Janak Nandini Realtors Pvt Ltd through Dir. Avnish Bansal, office Address 165, Rathore Nagar Main, Vaishali Nagar, Jaipur.

I, **Anil Kumar Chaudhary**, Advocate have caused necessary searches in the office of Sub-Registrar Chaksu Jaipur for the duration from 2009 to 2017 year and have personally examined all relevant records and documents with respect to the aforesaid property and after due considerations certify :

1. That the Lease Deed (Patta) of said property was issued by Jaipur Development Authority in regards to **S.No. 397, dated 26/10/2009** in favor of Ashish Buildcon Pvt Ltd.
2. That the Lease Deed (Patta) registered in office of Sub-registrar Sanganer-I, Jaipur, Vide Reg. no. 2009067003414, book no. 01, Vol No. 631, Page no. 14 on dated 27-10-2009, Additional book No. 01, Vol No. 2120 Page No. 175 to 186.
3. After that M/s Janak Nandini Realtors Pvt Ltd through Dir. Avnish Bansal purchased this plot on dated **26/02/2014** from Ashish Buildcon Pvt Ltd through Dir Ashok Agarwal. Which was registered in Sub registrar office Chaksu, dated 26/02/2014, Book No. 01 Page No 133 Volume No. 330 registered No. 2014002063 additional Book No. 01 Volume No. 1119 Page No. 321 to 330

-2-

4. After that M/s Janak Nandini Realtors Pvt Ltd through Dir. Avnish Bansal applied in Jaipur Development Authority for name transfer and deposit transfer charges, after that Jaipur Development Authority issued Name transfer Letter No D-195 date 03-04-2014.

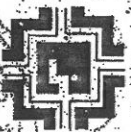
I hereby certify that:

1. The said plot free from all sorts of encumbrances, charges liabilities, liens and lispendens, attachment of any kind what so ever and the title of the said property is absolutely clear, free and marketable.
2. The said property is not effected by Urban Land Ceiling Act and Tenancy Laws Act etc and there is no need to get NOC Certificate for the propose sale of this property.
3. That there is no impediment for creating the mortgage nor there is any restriction by Urban Land (Ceilings Regulations) Act 1976.

It is, certified that M/s Janak Nandini Realtors Pvt Ltd is the owner of the property mentioned having valid and marketable in the title in the property.


ANIL KUMAR CHOU DHARY

ADVOCATE
(E.N. R/4622/2010)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-गर्भसंशोधन विभाग, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरानामा जो आज दिनांक 26/10/2021 को आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 394

को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कर का सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर

श्री/श्रीमती-आचार्य विवेकानंद पुं० दि० एचिए निरदोका उद्वाउड अदिमात

पुस्तक संख्या २६७३१५
जाति अज्ञात

अथर्वसिद्धि

निवासी २५ नं० पालिका वडापालिका काँडफा (जिनाका)

इसमें इसके पश्चात् पट्टदार कंठ कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निवाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और पुस्तकीत अलौह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लिखित शर्तों और कार्यों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संज्ञाधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो : वि.सं. अधिनियम १२९६ गृह निर्माण संश्लोक संहिता की अध्याय १० (वि.सं. अधिनियम १२९६) के अन्तर्गत स्थित स्थान आ.सं. अधिनियम १२९६ के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या : १२९६ क्षेत्रफल : १२९६ और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लॉट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और कार्यों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शाही जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियमित दर.....₹/..... रुपये प्रति वर्ग गज से कुल भिषान राशि ...₹.५8.७%..... रुपये देय होती है जो चालान नं...उपलब्ध..... दिनांक 26/10/०9.... से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से अठ वर्षीय लीज राशि ...₹.8५/..... रुपये होती है जो चालान नं...उपलब्ध..... दिनांक 26/10/०9..... से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्तः भित्त उपयोग किसी भी भाति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेशा दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन-विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन आयोग निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़े होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमादुसार पास करवाकर कराना होगा।

4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडलूड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटि द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर ज़ेठा द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से कबाना होगा।

6. पड़ेदार उष्णकटिबंध या उस पर बनाने गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में विवक्षित आशय के असांगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पड़ेदार द्वारा पड़ा खिलेज की उपयोग शर्तों एवं दी राज. इन्सुलमेंट ट्रस्ट (डिपॉजिट ऑफ अरबन लैंड रुलर्स, 1974 के) अनर्गल स्थापित शर्तों की पूर्ण प्राप्ति की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी गुआन्त्रे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

होती है। अतएव सस्य नं. 25.2.2. संख्या 5
वैधिसयत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निरक्षित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार की ओर से

आज से 20.02. माह शुभद्वार के 26. वे दिन सोमवार श्री संजय जी (1945)

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यलय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर/अवरोध किया गया किसे।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम कमलेश्वर लाल

पिता/पति का नाम श्री प्रभाकर लाल गुजरात

व्यवसाय इंडियन

निवास स्थान डी-172, इमरत राशन विभाग गुजरात

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम मणव अग्रवाल

पिता/पति का नाम श्री. ए. ए. अग्रवाल

व्यवसाय इंडियन

निवास स्थान डी-172, इमरत राशन विभाग गुजरात

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 138

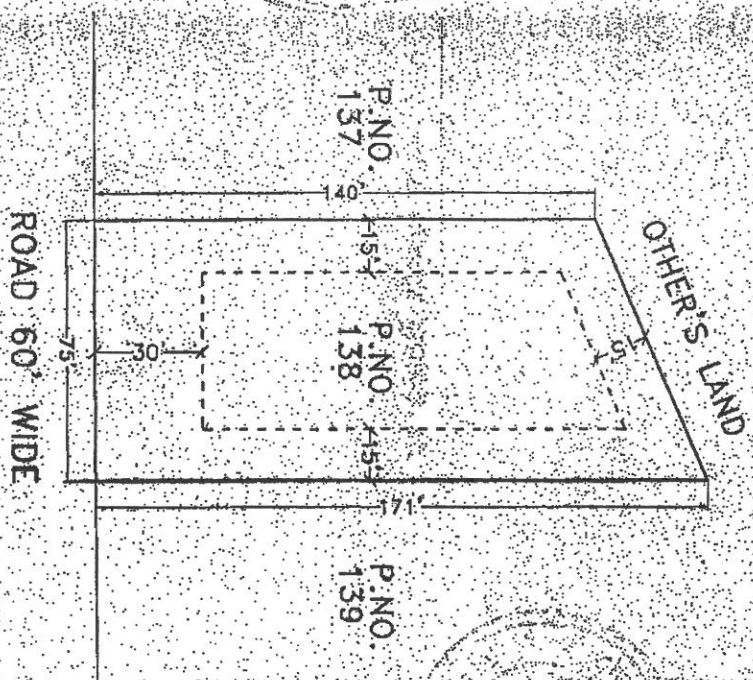
SCHEME GOVERDHAN VIHAR - H BLOCK

VILLAGE-JAMMANIMOHANPURA URF- MALWA & NAHRAYA KA BAS TEH- CHAKSU, JAIPUR
(NIJI KHATEDARI)

AREA 1295.83 Sq. Yds. (1083.47 Sq.M.)

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA : AS PER BYE LAWS

1 INCH = 50 FEET



SITE ENGINEER
(ZONE-14)

TPA/ATP
(ZONE-14)

DEVELOPMENT ENGINEER
(ZONE-14)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR.

आदि दिनांक: 27/10/2009 को
 प्रत्येक संख्या: 1 जिल्ह संख्या 631
 से पत्र संख्या 14 क्रमा संख्या: 2009067003414 पर
 परिचय किया गया तथा अतिरिक्त
 प्रत्येक संख्या: 1 जिल्ह संख्या 2120
 के प्रत्ये संख्या: 175 से 186
 पर विस्था किया गया।

[Signature]

(2809067003557) उपर पंजीयक संसाधन के अन्तर्गत
 Lease deed for local bodies (Patta)

